फर्द अहकाम

कार्यालय सहायक कलक्टर(SDO) मावली, उदयपुर

प्रार्थी : श्री कमला — **विपक्षी : वेणा**

किस्म मुकदमा – 131,136 भू.राजस्व अधिनियम — **पत्रावली संख्या : 20/22**

क्रमांक	कार्यवाही विवरण	हस्ताक्षर पार्टी तथा सूचनाएं जारी की गई

दिनांक : 04.08.2023

पत्रावली पेश हुई। अधिवक्ता उभय पक्षकारान उपस्थित। उभय पक्षकारान द्वारा उपस्थित होकर राजीनामा अनुसार सही तरमीम किये जाने का निवेदन किया। उभय पक्षकारान की बहस पर मनन किया।

हमने पत्रावली का अवलोकन किया। दस्तावेजात का अध्ययन किया। उभय पक्षकारान द्वारा प्रस्तुत राजीनामें का अध्ययन किया। प्रार्थीगण अनुसार राजस्व रेकार्ड में मूल आराजी नम्बर 2028 के टुकडे होने पर मौके पर काबिज अनुसार सही तरमीम किया जाने का निवेदन किया। विपक्षीगण द्वारा उपस्थित होकर उक्त तरमीम सही किये जाने पर सहमति व्यक्त की। उभय पक्षकारान द्वारा इस हेतु राजीनामा प्रस्तुत किया जो शामिल फाईल हैं। पत्रावली के अवलोकन से प्रार्थीगण द्वारा आराजी नम्बर 2196/2028, 2203/2028, 2201/2028, 2195/2028, 2202/2028 को प्रार्थीगण एवं विपक्षीगण के मौके अनुसार तरमीम किया जाने का निवेदन किया, जिस पर उभय पक्षकारान द्वारा राजीनामा अनुसार नक्शा प्रस्तावित कर प्रस्तावित नक्शें अनुसार सही तरमीम किये जाने पर सहमति व्यक्त की। प्रार्थीगण द्वारा प्रस्तुत दस्तावेज तहसीलदार मावली की संयुक्त जांच रिपोर्ट दिनांक 01.06.2022 में तहसीलदार मावली द्वारा आराजी नम्बर 2198/2028 रकबा 1.1979 हेक्टेयर चालु जमाबन्दी में दर्ज खातेदारों एवं मौके पर काबिज काश्तकारों में विसंगति होना बताकर मूल आराजी नम्बर 2028 में से बने अन्य आराजी नम्बर 2195/2028, 2196/2028, 2201/2028 में भी रेकार्ड एवं मौके पर खातेदारों की विसंगति होना बताकर उक्त विसंगति भू प्रबन्ध विभाग के समय से ही चली आना बताया हैं। विवादित आराजी नम्बर 2198/2028 के साथ ही चारागाह भूमि, कुंए की भूमि भी स्थित की हुई है तथा आसपास के आराजीयात की सीमाएं भी टुटी होना बताकर नक्शें एवं मौके में अन्तर होना बताया हैं। उभय पक्षकारान द्वारा प्रस्तुत राजीनामें एवं प्रस्तावित नक्शें अनुसार आराजी नम्बर 2198/2028 के स्थान पर आराजी नम्बर 2196/2028, आराजी नम्बर 2196/2028 के स्थान पर 2201/2028 तथा 2201/2028 के स्थान पर 2198/2028 अनुसार नक्शें में तरमीम किया जाने का निवेदन किया। अतः उभय पक्ष सहमत होने से राजीनामा अनुसार नक्शें में तरमीम किया जाना न्यायाहित में उचित हैं। अतः प्रार्थीगण का प्रार्थना पत्र न्यायहित में स्वीकार योग्य पाया जाता हैं।

–: आदेश :–

परिणामस्वरूप प्रार्थीगण का प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 131, 136 भू. राजस्व अधिनियम का स्वीकार किया जात है कि मौजा रख्यावल पटवार हल्का रख्यावल की आराजी नम्बर 2198/2028 के स्थान पर आराजी नम्बर 2196/2028, आराजी नम्बर 2196/2028 के स्थान पर 2201/2028 तथा 2201/2028 के स्थान पर 2198/2028 को उभय पक्षकारान द्वारा प्रस्तावित नक्शें अनुसार राजस्व नक्शें में उभय पक्षकारान के कब्जे अनुसार तरमीम किया जाने का आदेश दिया जाता हैं। प्रस्तावित नक्शें अनुसार तरमीम किया जाने हेतु तहसीलदार मावली को लि[illegible] [illegible]मार होकर नम्बर से कम हो। निर्णय सुनाया गया।

Signature Not Verified
Digitally signed by Shrikant Vyas
Date: 2023.08.29 16:40:36 IST
Reason: SelfAttested

([illegible] व्यास)
[illegible]यक कलक्टर
[illegible]SDO) मावली